

अधिसूचना/राजसिंह/क-3/एच आर -153/2002/3149-7151
अधिसूचना

दिनांक 12.08.2002
16

गौड ब्रह्मण कॉलेज आफ एजुकेशन, रोहतास, हरियाणा को बी.एड पाठ्यक्रम की 60 सीटों की मान्यता सन् 1998-1999 से समिति के निर्णयानुसार प्रदान की गई थी। संस्था ने 60 सीटों के स्थान पर 100 सीटों की मान्यता हेतु आवेदन समिति कार्यालय में दिनांक 31.12.2001 को प्राप्त हुआ था। उत्तर क्षेत्रीय समिति के 43वीं एवं 49वीं बैठक में निर्णय किया है कि गिनत संस्थाओं के आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं एवं जो निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त हुये हैं उनके आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाये।

गौड ब्रह्मण कॉलेज आफ एजुकेशन, रोहतास, हरियाणा को बी.एड पाठ्यक्रम की 60 सीटों की मान्यता सन् 1998-1999 से समिति के निर्णयानुसार प्रदान की गई थी। संस्था ने 60 सीटों के स्थान पर 100 सीटों की मान्यता हेतु प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन को संस्था द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने, भूमि के स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज न होने, सोसाइटी/ट्रस्ट का संविधान/विद्यमानता की प्रतिलिपि न होने, नॉन ज्यूरिडिकल स्टाम्प पेपर पर अखतियारी न होने, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि न होने आवेदन पत्र के दो सेट न होने के कारण आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जाता है।

यदि आप सन् 2003-2004 से मान्यता चाहते हैं तो आपकी निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तरा से पुनः विभिन्न समस्त माँडित दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा।

आज्ञा से
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति

आचार्य
गौड ब्रह्मण कॉलेज आफ एजुकेशन,
रोहतास-124001, हरियाणा

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शिक्षा समिति, हरियाणा सरकार, कारागार सन्निहलम, पंजीरवा
2. राज्य सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, ईस्ट ब्लॉक, हरियाणा गणपति इन्डोर स्टेडियम, नई दिल्ली - 2

क्षेत्रीय निदेशक
9/8/2002